न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/108/2019	15–10–2019	16–02–2021

01–मम्मन पुत्र समसुदीन जाति मेव निवासी ग्राम ताजलका तहसील तिजारा, अलवर।
02–श्रीमती हसीना पत्नि समसुदीन जाति मेव निवासी ग्राम ताजलका तहसील तिजारा, अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–समसूदीन पुत्र मीला जाति मेव हाल निवासी ए आर जी–37 सिविल लाईन अलवर हाल महामुद्रांक एवं स्टाम्प क्लेक्टर अलवर।
02–श्रीमती मुमताल खॉ पत्नि समसुदीन जाति मेव हाल निवासी ए आर जी–37 सिविल लाईन अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तिजारा का निर्णय दिनांक 26.12.2011 नामान्तकरण संख्या 597 दिनांक ग्राम ताजलका तहसील तिजारा।

उपस्थित :–

01. श्री के0के0 रायजादा –वकील अपीलाण्ट
02. श्री सरदार खॉ –वकील रेस्पा0

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 26–12–2011 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 597 वाके ग्राम ताजलका तहसील तिजारा का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 287 रकबा 1.32 है0, खसरा नम्बर 341 रकबा 0.87 है0, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 20 रकवा 2.30 है0, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 251 रकवा 0.01 है0, 252 रकवा 1.54 है0, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.92 है0, खसरा नम्बर 254 रकवा 0.47 है0, खसरा नम्बर 257 रकवा 0.16 है0, खसरा नम्बर 260 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 376 रकवा 1.91 है0, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम ताजलका तह0 तिजारा रेस्पा0 संख्या 1 के पिता श्री मीला मेव के कब्जे काश्त खातेदारी के है, रेस्पा0 सं0 1 के पिता का देहान्त दिनांक 18.12.2010 को हो जाने पर विरासत इंतकाल 20.4.2011 को रेस्पा0 सं0 1 व उसके अन्य भाई व बहन के नाम

जिला कलक्टर, अलवर

दर्ज व तस्दीक कर दिया गया, विरासत इंतकाल के श्री माली की लडकी ने अपनी आराजी सगे भाईयों के नाम तर्क कर दी। विरासत दर्ज होने के रेस्पा0 सं0 1 ने बनियत मुजरनामा के अपीलान्ट के हक हकूक जायल करने के लिए कपटपूर्वक छदम से अपने हिस्से की आराजी को बिना बंटवारा आदि किये महज नुमाईशी तौर पर रेस्पा0 सं0 2 जो कि रेस्पा0 सं0 1 की पत्नि के नाम तर्कनामा तहरीर व तकमील कर अपने पद व हैसियत का दुरूपयोग करते हुऐं अपने अधिकारियों व कर्मचारियों से पंजीयन व तस्दीक करा लिया। रेस्पा0 सं0 1 ने अपीलान्ट सं0 2 से विवाह किया और तदुपरांत रेस्पा0 सं0 1 का अपीलान्ट सं0 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। रेस्पा0 सं0 1 उच्च पद होने के कारण वह अपीलान्ट सं0 2 से मन भर जाने के नाटक करने लगा और अन्य विवाह करने को तडपने लगा और अपने इरादे को अंजाम देने के वास्ते उसने अपीलान्ट सं0 2 को त्याग दिया। अपीलान्ट सं0 2 ने सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ बास अलवर में प्रार्थना पत्र संख्या 94/97 हसीना बनाम होलू उर्फ भोलू खॉ उर्फ समसूदीन खॉ के अनुवान से जेर दफा 3 (1) (डी) मुस्लिम वूमन प्रोटेक्शन आफ राईटस एवं ड्राईवर्स एक्ट 1986 के तहत पेश किया, जिस पर राजीनामा दिनांक 18.3.1998 को किया कि अपीलान्ट सं0 2 को रेस्पा0 सं0 1 ने तीस हजार रूपये मेहर की राशि तथा दौ बीधा जमीन दो साल के अन्दर तह0 किशनगढ बास या तिजारा में अपने लडके (अपीलान्ट सं0 1) मम्मन की इच्छा के मुताबिक देने को लिखकर दिया, किन्तु लिखित में किये गये राजीनामे की पालना नही। विवादित रिलीज डीड दिनांक 12.12.2011 व प्रश्नगत इन्तकाल संख्या 597 बाला–बाला अपीलान्ट की बिना जानिब व जानकारी के किये गये है। रिलीज डीड का इंतकाल ग्राम पंचायत के द्वारा चढाये जाने का प्रावधान है जो ग्राम पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने पर 45 दिवस के अन्दर ग्राम पंचायत के सम्मुख पेश किये जाने पर तस्दीक किये जाते है लेकिन रेस्पा0 सं0 1 जो वर्तमान में अलवर जिले में पंजीयन एवं मुद्रांक जिला कलक्टर के पद आसीन है और अपने मताहत अधिकारी को पद व हैसियल का दवाब डालकर व मिल्लत करके तस्दीक कराया है। रेस्पा0 सं0 1 ने रेस्पा0 सं0 2 के हक में लिखी रिलीज डीड विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है और कानूनन शून्य है। रेस्पा0 सं0 1 ने अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने व अपीलान्ट के अधिकारों को कुठाराधात पहुचाने की गई से विद्वेष भाव से की गई है। अपीलान्ट को रेस्पा0 सं0 1 के द्वारा गई रिलीज डीड बहक रेस्पा0 सं0 2 के पक्ष में होने का ज्ञान नही हो सका, रिलीज डीड के तहत अदालत तिजारा द्वारा चढाये गये विवादित इंतकाल का ज्ञान नही सका। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 23–01–2012 को श्री इब्राहीम निवासी ग्राम सिरमौली अलवर से पता चलने पर नकल दिनांक 24.1.2012 को प्राप्त होने पर बिना देरी के अपील पेश है। अतः प्रा0पत्र दफा 5 पेशकर निवेदन है कि दिनांक 12.12.2011 से जानकारी दिनांक 21.01.2012 तक की अवधि जानकारी के अभाव में एवं नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह लेने में व्यतीत हुई, जिस पर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी–06, डब्ल्यूएलसी राजस्थान 526, एसबी सीडब्ल्यूपी नम्बर 4057/1994 के दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान वकील रेस्पा0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों अस्वीकार करते हुऐं निवेदन किया कि रेस्पा0 सं0 1 ने किसी प्रकार अपने पद का दुरूपयोग नहीं किया है और हक त्याग की समस्त शक्तियॉ रैस्पा0 स01 के पास होने के कारण हकत्याग सवर्था विधिसम्मत है। विवादित इंतकाल चोरी से नहीं किये गये है अपीलान्ट के हक हकूक नहीं होने से उन्हें जानकारी देने की असम्बद्व व्यक्ति होने से कतई आवश्यकता नहीं है। हक त्याग का इंतकाल ग्राम पंचायत द्वारा नहीं चढाया जा सकता। रिलीज डीड होने की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 12.12.2012 को ही हो गया था। अपीलान्ट सं0 1 ने उप पंजीयक अलवर के यहॉ हक त्याग दस्तावेज की नकल हेतु 22.12.2011 को ही नकल का प्रा0पत्र लगा दिया इस प्रपत्र में दस्तावेज का नम्बर दर्ज है नम्बर की जानकारी पहले से थी तब ही नकल प्रपत्र में दस्तावेज का नम्बर अंकित है। पटवारी हल्का द्वारा 15.12.2011 को इंतकाल दर्ज किया था और उसी दिन अपीलान्ट को इंतकाल की जानकारी हो गई थी। उप खण्ड अधिकारी तिजारा के यहॉ प्रकरण संख्या 10/2012 में दिनांक 2.12.11 को ही अपीलान्ट सं0 1 को प्रारम्भिग आपत्ती के रूप में रेस्पा0 सं0 1 के जवाब द्वारा यह जानकारी दे दी गई थी कि रेस्पा0 सं0 1 किसी भी भूमि का कोई खातेदार नहीं है। विवादित इंतकाल के रेस्पा0 सं0 1 व 2 द्वारा कलक्टर अलवर के दिनांक 28.12.2011 को केबियट पेश करने के मार्फत अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित कर दिया गया था, जो डाक दिनांक 01.01.2012 को ही अपीलान्ट को मिल गई थी। Revenue courts manual के नियम 17(2) के अनुसार यदि भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत परिशमन के लिए प्रा0पत्र दिया जाता है तो शपथ पत्र देना बाध्यकारी है। परन्तु अपीलान्ट सं0 2 के द्वारा कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया जो परिसीमा अधिनियम में उन्हें क्षमा योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने दावा इश्तकराहक का एस0डी0एम0 कोर्ट तिजारा में कर रखा है जो अभी लम्बित है जिस पर प्रारम्भिक आपत्तियों पर बहस चुकी है और सुनवाई हेतु नियत है। क्योंकि किसी प्रकार के कोई हकूक व अधिकारों की घोषणा सम्बन्धित लम्बित दावा में उप खण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा तय किये जावेगें। अपीलान्ट ने महज रेस्पा0 को बेजा तंग, परेशान व मुकदमाबाजी में फसाने की नीयत से अपील पेश की है। तहत अदालत ने कानूनी प्रावधानो के अनुसार रिलीज डीड के आधार पर विवादित इंताकल तस्दीक कर दर्ज व स्वीकार किया है। अपीलान्ट रिलीज डीड को सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अपील अपीलान्ट मियाद बहार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपने कथन की पुष्टि में 2011(3) आरएलडब्ल्यू 1986(एससी) का दृष्टान्त पेश किया।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय

जिला कलक्टर, अलवर

आदेश दिनांक 26–12–2011 के विरूद्ध दिनांक 21–02–2012 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ करने का निवेदन किया है। अपने कथन की पुष्टी में अपीलान्ट वकील द्वारा दौराने बहस ऐसा कोई साक्षय सबूत हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके की अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब से हुई हों। विवादित रिलीज डीड दिनांक 12.12.2011 को निष्पादित हुई थी तथा प्रश्नगत इंतकाल संख्या 597 दिनांक 26.12.2011 का दर्ज हुआ था। इस प्रकार दिनांक 12.12.2011 से दिनांक 21.2.2012 विलम्बर की अवधि को माफ किया जाना न्यायोजित प्रतीत नहीं होता है। वकील रेस्पा0 ने हमारा ध्यान प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी की ओर आकर्षित कराते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्ट को प्रस्तुत अपील के साथ 96 सीपीसी के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट यह कथन कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब से हुई इस बास से भी मिथ्या होता है कि रेस्पा सं0 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तु केवियट प्रार्थना के नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से डाक द्वारा दिनांक 01.01.20122 को ही मिल चुकी था, जो कि एक रिकार्डेड तथ्य है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी तिजारा में वाद विचाराधीन है जिसमें अधिकारों की घोषणा के तय होने है। इंतकाल की कार्यवाही फिसीकल प्रोसेडिंग है, इस में किसी के अधिकार तय नही होते अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही होता है। जो पक्षकारान में मध्य चल रहा है जिसमें अधिकार तय होने है। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी व दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2011 से 24.01.2012 का विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार तिजारा का निर्णय दिनांक 26.12.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दमल पहाडिया)
जिला कलेक्टर, अलवर